2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **ओमप्रकाश दांतीवाड़ा बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 395/2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-02-2022	अपीलार्थी ओमप्रकाश दांतीवाड़ा, पता अखिल भारतीय किसान सभा,कार्यालय गांधी टॉवर चौथी मंजिल, गांधी अस्पताल के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.11.2021 में उसके द्वारा (1) जोधपुर तहसील के मौजा दांतीवाड़ा के सन् 2016 से लगातार नामान्तरकरण पुस्तिका में दर्ज ग्रामवार सम्पूर्ण नामान्तरकरण एवं उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु श्रीमान् सक्षम अधिकारी द्वारा हलका पटवारी दांतीवाड़ा को प्रेषित आदेशों मय नामान्तकरण पुश्त के पीछे खसरा की मौके की दर्शाई गई वस्तुस्थिति का नजरीया नक्शें की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को स्थानान्तरित की दी गई तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा जरिये पत्रांक 911 दिनांक 18.11.2021 द्वारा शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से जरिये पत्रांक 75 दिनांक 13.01.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (सूअ.अ.) कमांक/प. 20(84)प्रकसूआआ/2009/पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अनुसार लेण्ड रिकॉर्ड में निर्धारित राशि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की नकलों की राशि वसूल की जानी है अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्रांक 911 दिनांक 18.11.21 सूचित किया गया कि ग्राम दांतीवाड़ा के नामान्तरकरणसंख्या 1147 से 1419 की सूचना शुल्क राशि 5450/– रूपये व जमाबंदी खाता संख्या 01 से लगातार अंतिम खाते तक की सम्पूर्ण जमाबंदी की सूचना शुल्क राशि 4990/–, रूपये, लट्ठा ट्रेस नक्शा के लिए 9980/– रूपये कार्यालय में विभागीय खंजांची के पास जमा कराने पर वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है, परन्तु अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा उक्त शुल्क राशि जमा नहीं करवाई गई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार मुझ आवेदक से लेण्ड रिकॉर्ड में निर्धारित राशि वसूल पूर्णतः गलत है क्योंकि मुझ आवेदक ने पूर्व में दिनांक 25.10.21 को कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर से प्राप्त रसीद 15368 के जरिये लेण्ड रिकॉर्ड में निर्धारित राशि देने हेतु प्रतिलिपि आवेदन प्रेषित कर बार बार चाही गई नकले	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.08 14:24:35 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....

उपलब्ध करावे परन्तु 30 दिन का समय गुजर जाने के उपरान्त भी उक्त चाही गई नकले उपलब्ध नहीं करवाने के उपरान्त पिडीत होकर मुझ आवेदन ने सूचना का अधिकार अधि. 2005 के तहत पूर्व में प्रतिलिपि फार्म के तहत चाही गई नकले उपलब्ध करवाने का लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है। आगे यह भी कहा कि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक्ट में किस प्रकिया के तहत किस धारा/आर्टिकल में परिवर्तन कर किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा उक्त परिपत्र के नियमों को लागू करने एवं पूर्व नियमों को विलोपित करने हेतु रा0 राजपत्र विशेषांक का भाग संख्या व किस दिनांक को प्रकाशित कर पूर्व नियमों को विलोपित करने हेतु राजस्थान सरकार का गजट नोंटिफिकेशन/अध्यादेश जारी कर सूचना के अधिकार अधिनियम एक्ट में कानून/नियम लागू किया है। अपील के अंत में चाही गई सूचना का निर्धारित 30 दिवस से अधिक गुजर जाने से नियमानुसार निःशुल्क प्रमाणित प्रतियां देने की इस्तदुआ की।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) ने राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (सूअ.अ.) कमांक/प.20 (84) प्रकसूआआ/2009/पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अनुसार लेण्ड रिकॉर्ड में निर्धारित राशि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की नकलों की राशि वसूल करने हेतु निर्धारित शुल्क राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्रांक 911 दिनांक 18.11.21 से सूचित किया जा चुका है तथा अपीलार्थीपक्ष ने उक्त परिपत्र के सन्दर्भ में निर्देशों बाबत् एतराज उठाये गये जो कि मान्य योग्य नहीं होने से अपील निरस्त योग्य है अतः अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.08 14:24:35 IST
Reason: SelfAttested